



e/; i ns' k 0; kol kf; d i jh{kk e.My] Hkksi ky

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल: vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

## i h0o\$Vujh , .M fQtjht VLV (PV&FT) - 2014

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	27.06.2014	
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	26.07.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	27.07.2014	
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	05.08.2014	
परीक्षा दिनांक व दिन	07.09.2014 (रविवार)	
परीक्षा शुल्क	अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए :-	रू... 700 /-
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/नि:शक्तजन के लिए :-	रू... 350 /-
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 70/- देय होगा।		

### I e; & I kj .kh

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारीयों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
07.09..2014 (रविवार)	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 01:15 बजे तक (3:00 घंटे)

### टिप्पणी :-

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, केलकूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
6. मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी।

i h00gh0, .M, Q0Vh0 (PV&FT) - 2014

fo"K; l ph

v/; k; & 1

funz k , oa ijh{kk l pkyu fu; e

I -Øa	fooj .k	fu; e Øekad	i "B Øekad
1	ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया	1.1	3
2	ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	1.2	3
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की जानकारी में संशोधन	1.8	6
4	प्रवेश-पत्र	1.10	7
5	परीक्षा शहर	1.11	7
6	अनुचित साधन	1.16	8-9
8	प्रश्न पुस्तिकाओं के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	1.19	10
10	परीक्षा परिणाम का प्रकाशन	1.20	10

v/; k; & 2 ¼i ds k ijh{kk fu; e½

i h00gh0, .M, Q0Vh0 ijh{kk 2014 i ds k fu; e

ukukth ns keq[k i 'kfpfdRI k foKku fo'ofok |ky;] tcyij ds vrxr i 'kfpfdRI k , oa i 'kij kyu egkfo |ky; k ea o"K 2014 ea Lukrd Lrjh; ikB; Øe ea i ds k grq fu; e

I -Øa	fooj .k	fu; e Øekad	i "B Øekad
1.	सामान्य जानकारी	2.0	12
2.	अर्हकारी योग्यता	2.4.2	13
3.	उपलब्ध सीट एवं आरक्षण	2.4 to 2.4.2	12-13

v/; k; & 3 ¼i ds k ijh{kk fu; e½

i h00gh0, .M, Q0Vh0 ijh{kk 2014 i ds k fu; e

ukukth ns keq[k i 'kfpfdRI k foKku fo'ofok |ky;] tcyij ds vlxr eRL; i kyu foKku egkfo |ky;] tcyij ea Lukrd Lrjh; ikB; Øe ea i ds k grq fu; e

I -Øa	fooj .k	fu; e Øekad	i "B Øekad
1.	सामान्य जानकारी	3.0	18
2.	अर्हकारी योग्यता	3.4.2	18
3.	उपलब्ध सीट एवं आरक्षण	3.4	18 एवं 19

v/; k; & 4

i ek.k&i =ka ds ik: i & i "B Øa 24 l s 42 rd

v/; k; & 5

ikB; Øe & i "B Øa 43 l s 48 rd

v/; k; & 1  
e/; i n s' k 0; kol kf; d i j h {kk e. My] Hkks i ky  
i j h {kk l pkyu fu; e , oa fun' k

egROI w kZ %&

- 1-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 1-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

1.3 vkWuykbU vkonu&i = Hkj us dh 0; oLFkk %&

- (1) ocl kbM www.vyapam.nic.in vFkok www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- (2) ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क को नकद निर्धारित शुल्क i h00gh0, .M, Q0Vh0 -2014 हेतु अनारक्षित/अन्य पिछड़ी जाति के लिए 700/- तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तजन के लिए 350/- का भुगतान कर भरा जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेविट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो कार्ड)/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। उपरोक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा रु. 70/- क्योस्क शुल्क देय होगा।
- (3) शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।

1-4 vkWuykbU vkonu&i = ds l kFk l ayXu fd; s tkus okys nLrkostka dk foofj .k %&

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।

- (अ) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (ब) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईनें स्कैन करवाकर संलग्न करनी होंगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (स) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

### 1-5 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

1-6 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

### 1-6 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (ii) फोटोग्राफ ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के कॅपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

### 1-7 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

1-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 27.06.2014 से दिनांक 26.07.2014 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

आनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

1-7-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा [b&jus/ ds ek/; e l s vkWykbLu vkonu OkeZ Hkj us dh fof/k %](#)

1-7-2-1 आवेदक [www.mponline.gov.in](#) वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत [i h00gh0, .M, Q0Vh0](#) -2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **fun? k@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

1-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फॉर्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

1-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

1-7-2-4 [0fMV@MfcV dkmZ ds ek/; e l s ijh{kk 'kQd dk Hkqrku%&](#)

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-2-5 [b&jus/ cfdæ ds ek/; e l s ijh{kk 'kQd dk Hkqrku %&](#)

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

1-7-3 [, e-i h- vkWykbLu fd; kLd ds ek/; e l s vkonu OkeZ Hkj us dh fof/k %&](#)

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा।

कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

1-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

UK&%& ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019401, 02, 03, 04, 05 & 06 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

1-8 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkWuykbU vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

1-8-1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् अगले दिन से 10 दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

1-8-2 संशोधन हेतु निर्धारित 10 दिन की अवधि में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रू.100/- एवं पोर्टल शुल्क रू. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

1-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी.

नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

1-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

1-9  $\forall \text{konu} \& i = \text{dk fujLrh} \text{dj.k} \% \&$

एमपी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

1-10  $i \text{ jh} \{ \text{kk} \ i \text{ d} \& \text{ k} \& i = (\text{Test Admit Card}) :-$

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

$i \text{ d} \& \text{ k} \& i = i \text{ klr} \text{ djus} \text{ dh} \text{ i} \text{ f} \emptyset ; \text{ k} \% \&$

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

$uk \forall \&$  प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/ परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1-11  $i \text{ jh} \{ \text{kk} \ ' \text{kgj} \ o \ i \text{ jh} \{ \text{kk} \ | \ e ; \% \&$  यह परीक्षा निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जायेगी

1. इंदौर	2. जबलपुर	3. भोपाल	4. ग्वालियर
----------	-----------	----------	-------------

अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त करने का अधिकार मण्डल सुरक्षित रखता है। लिखित परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे तक आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश-पत्र पर अंकित होगी।

1-12  $i \text{ jh} \{ \text{kk} \ ' \text{k} \forall \text{d} \% \&$

उक्त परीक्षा में परीक्षा शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए रु. 700/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी (मध्यप्रदेश के मूल निवासी)/ निःशक्तजन के लिये रु. 350/- निर्धारित है। ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रु. 70/- अतिरिक्त देय होगा।

### 1-13 ijh{kk gky ea ys tkus grq vko' ; d l kexh %&

प्रवेश-पत्र, काला बॉलपवाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

1-14 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

### 1.15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

स.क्रं.	दिनांक	प्रश्न पत्र	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	07.09.2014 (रविवार)	प्रश्न पत्र	03घंटे	प्रातः 10:00 से दोपहर 01:15 बजे	200

इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 200 प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। प्रश्नों की संख्या एवं विषयों की जानकारी निम्न तालिका में उल्लेखित है:-

स0क्र0	विषय	प्रश्नों की संख्या
01	भौतिक शास्त्र	50
02	रसायन शास्त्र	50
03	वनस्पति विज्ञान	50
04	प्राणी विज्ञान	50
	योग:-	200

### 1.16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

¼d½ परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

¼k½ अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

¼x½ परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

¼?k½ परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

¼M-½ अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

¼p½ अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।

¼N½ प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।

¼t½ नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

¼>½ सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

- ¼½ सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- ¼½ परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- ¼½ परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- ¼½ परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा प्रक्रिया में अथवा परीक्षा के डाटा में किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ या किसी भी व्यक्ति से मिलकर परीक्षा की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए अनुचित लाभ प्राप्त किये जाने का प्रयास परिलक्षित होने पर अथवा अभ्यर्थियों का वह कृत्य जिससे परीक्षा की अनुल्लंघनियता (Sanctity) प्रभावित होती हो, परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।
- ¼½ परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी प्रकरण दर्ज किये जाने अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 प्रकरण मान्य करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी।

#### 1.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

#### 1-18 = [V i w k i z u] m l d k f u j L r h d j . k , o a c n y s e a f n ; k x ; k v a d % &

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- 1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- 2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- 3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- 4- कोई भी विकल्प सही न हो।
- 5- यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।

- 6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
- 7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशांसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.90 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

#### 1.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप 14 एवं 15 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बिन्दु क्रमांक 1.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

#### 1-20 ijh{kk ifj.kke dk izdk'ku %&

परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे। अध्याय-1 से 3 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। पुलिस विभाग की अनुशांसा/निर्देश उपरान्त परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर उपलब्ध कराया जावेगा।

#### 1-21 vd l ph %&

इस चयन परीक्षा के सभी चरणों के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होने के उपरान्त अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट [www.vyapam.nic.in](http://www.vyapam.nic.in) पर अपलोड की जा सकेगी। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

#### 1-22 fyf[kr ijh{kk eafu% kDr tu vH; fFkZ; ka ds fy, mi yC/k l fo/kk, W %&

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी:-

(अ) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

1. दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।
2. मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

3. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो, इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन रैंक से कम का न हो।
4. दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो और इस आशय का प्रमाण-पत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो सहायक सर्जन से कम रैंक का न हो।

(ब) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट
1½ घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	30 मिनट

(स) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी शपथ-पत्र सहित संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्र अधीक्षक को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाकर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्रदान किया जाना अनिवार्य होगी।

(द) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

1. परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए मण्डल द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जावेगा।
2. ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

1-23 e-iz 0; kol kf; d ijh{kk eMy dk dk; / i ɔs k ijh{kk dk l pkyu , oa ml dk ifj .kke  
?kkf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

1-24 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

## v/; k; &amp;2

ukukth ns'keq[k i'kfpfdRI k foKku fo'ofok|ky;] tcyij ds vrxr i'kfpfdRI k , oa i'kij kyu egkfo|ky; k; ea o"kl 2014 ea Lukrd Lrjh; ikB; Øe ea i os'k grqfu; e

2-0 I kekU; tkudkj h :- ये नियम म०प्र० शासन, पशुपालन विभाग के द्वारा एवं मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) द्वारा प्रकाशित पी०व्ही० एण्ड एफ०टी० प्रवेश नियम 2014 कहलायेंगे ।

2.1 स्नातक डिग्री एवं अवधि : बी.व्ही.एस-सी., एण्ड ए.एच., पांच वर्षीय पाठ्यक्रम (इन्टर्नशिप सहित)

2.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें :

2.2.1 ch-0gh-, l & l h-] , .M , -, p- ikB; Øe में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा की जावेगी ।

2.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित (10+2) पद्धति की 12वीं कक्षा की परीक्षा/बी.एससी. प्रथम वर्ष/इंटरमीडिएट/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एज्युकेशन द्वारा संचालित, 12वीं कक्षा की परीक्षा नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो ।

(अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान

तथा

(ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

2.2.3 वे प्रत्याशी जो म. प्र. में स्थित किसी भी पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, को प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी ।

2.3 न्यूनतम अंक सीमा : ch-0gh-, l & l h-] , .M , -, p-] पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य हैं । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है ।

2.4 पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालयों में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण:

विवि/ महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर)			अनु.जाति (एस.सी.)				अनु. जनजाति (एस.टी.)				अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)				योग				महा योग
	X	F	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	X	F	K	FF	
जबलपुर	17	8	1	6	2	0	0	7	3	1	0	5	2	0	0	35	15	1	1	52
रीवा	17	8	0	6	2	0	0	7	3	1	0	5	2	0	0	35	15	1	0	51
महू	17	8	0	6	2	0	0	7	3	1	0	5	2	0	0	35	15	1	0	51
योग	51	24	1	18	6	0	0	21	9	3	0	15	6	0	0	105	45	3	1	154

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, X= इन तीनों में से कोई नहीं अर्थात् बिना वर्ग ।

2.4.1. दोनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों (जबलपुर/महु) में 9-9 स्थान पर प्रवेश (15 प्रतिशत) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जावेगा।

2.4.2. पेमेन्ट सीटों पर प्रवेश : प्रदेश के तीनों पशुचिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 20 प्रतिशत सीटों पर पेमेन्ट सीट के रूप में प्रवेश दिया जावेगा। इन सीटों में अनु.जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16, 20 एवं 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पेमेन्ट सीट पर प्रवेश के लिए पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। पेमेन्ट सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

1. पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 प्रवेश परीक्षा परिणामों की मेरिट/प्रतीक्षा सूची के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा ।
2. किसी भी ऐसी पेमेन्ट सीट, जिनके लिए संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, अनारक्षित वर्ग की सूची से नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात ही सीटें रिक्त होने पर पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत की शर्त को 33 प्रतिशत तक शिथिल करके प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु इसके लिए छात्र के 10+2 कक्षा में 50 प्रतिशत अंक (विज्ञान समूह) होना आवश्यक है। परन्तु किसी भी छात्र को 10+2 कक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
4. पेमेन्ट सीट पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी।
5. शिक्षण सत्र 2014 में पेमेन्ट सीटों का आरक्षणवार वर्गीकरण निम्नानुसार होगा।

पाठ्यक्रम	अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति योग	अन्य पिछड़ा	योग
बी.व्ही.एस-सी एंड ए. एच.	18	6	7	5	36

6. पेमेन्ट सीट पर प्रवेश की अंतिम तिथि की सूचना नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचार माध्यमों से प्रसारित की जावेगी।

2-4-3- , u-vkj-vkbz@vi.0kl h Hkkjrh; ; k vi.0kl h Hkkjrh; }kjk ik; kftv vH; fFkz; ka ds i.0s'k grq%

पशुचिकित्सा एवं पशुपालन पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर.आई. के लिए आरक्षित रहेगी, जिसकी 'kq'd jkf'k 4000 Mklyj + : i, 8/688@& ifro"kl gksxhA इन सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदक को 30 अगस्त, 2014 अथवा उसके पूर्व अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संभाग, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर म0प्र0 पिन-482001 में निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन करना होगा।

1. 10+2 प्रणाली की 12 वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष विज्ञान समूह (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ) में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. एन.आर.आई. स्पान्सर्शिप प्रमाण-पत्र

अथवा

- विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन अथवा चांसलरी से अथवा कमीशन से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी के पिता/माता उस देश के अप्रवासी भारतीय हैं।
3. समस्त प्रमाण-पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर आवेदन पत्र के साथ भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा समस्त प्रमाण-पत्रों की पूर्ति न करने पर आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
  4. एन.आर.आई. कोटे के अंतर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु पर्याप्त विज्ञापन देने के पश्चात भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो रिक्त सीटों को राज्य शासन की स्वीकृति से पेमेन्ट सीटों में परिवर्तित किया जा सकेगा। किंतु उक्त सीटों पर केवल प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध छात्रों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
- 2.4.4 प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के वांछित प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिये जायेंगे तथा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जायेगा। मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने, अथवा आबंटी द्वारा प्रवेशित सीट छोड़ने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे।
- 2.4.5 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालयों के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनांक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किए बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है तो उस सीट के लिए उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे।
- 2.6 **okLrfod fuokl h dh ik=rk; 1 % पाठ्यक्रमों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी।**
1. जो भारत का नागरिक हो।
  2. (क) जिसने वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक पांच वर्ष की अवधि में म.प्र. में स्थित प्रशिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)  
अथवा
- (ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार म.प्र. का वास्तविक निवासी हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 10 में)
- (i) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवा निवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 11 में)
  - (ii) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाक-तार टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी, 2014 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक म.प्र. में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 12 में)
  - (iii) ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थायी रूप से बस गया हो। (प्रमाण-पत्र प्रारूप 13 में)
- Li "Vhdj .k 1:** म.प्र. का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी म.प्र. का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गयी दोनों शर्तों (अ) या (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो

vFkok

अभ्यर्थी स्वयं या उनके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि माता/पिता दोनों जीवित न हो तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्षों से म.प्र. में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा है अथवा मध्यप्रदेश में उनकी अचल संपत्ति हो।

, Oa

(ब) उसने म.प्र. स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

vFkok

उसने म.प्र. स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा, दसवीं कक्षा/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

fVli .kh % मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप 10 के अनुसार) के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि, कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

Li "Vhdj .k&2 (अभिभावक) : किसी भी आवेदक के वैध अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हों। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

Li "Vhdj .k&3 (दत्तक पुत्र/पुत्री) : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिए आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस-सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिए जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हो तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

2-7 vk; q l hek % प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

2-8 vkj {k. k %

(अ) अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिए क्रमशः 16, 20 एवं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

- (ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश में वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थायी रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- (1) कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5 वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में से किन्हीं दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों के लिए यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों
  - (2) शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (स) सभी वर्गों के अन्तर्गत म.प्र. में पंजीकृत वास्तविक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों के लिए 3 प्रतिशत एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिले तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।
- (द) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ग में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हो, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को निम्नानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।
- अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
  - अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
  - इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के अभ्यर्थी रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।
- (इ) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिए गए निर्धारित प्रारूप अथवा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (फ) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग, जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

## 2-9 i koh. ; l ph ?kks"kr djus dh fof/k %

- 2.9.1 सभी पाठयक्रमों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठयक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर व्यापम द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियां बनाई जावेगी।
- 2.9.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अन्तिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अन्तिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जायेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत उतना रिक्त माना जाएगा। परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।
- (ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  - (स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें, तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

- 2.9.3 महाविद्यालयों में प्रवेश मेरिट एवं विकल्प के आधार पर आवंटन पद्धति से किया जावेगा। केवल रिक्त फ्री सीट, पेमेन्ट सीट एवं एन.आर.आई सीटों पर प्रवेश हेतु वि.वि. द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काउन्सिलिंग की जावेगी।
- 2.9.4 महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र सितम्बर 2014 से प्रारम्भ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2014 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी। स्थान रिक्त रहने पर प्रतीक्षा सूची की वैधता राज्य शासन की स्वीकृति से आगे बढ़ाई जा सकती है।
- 2.9.5 पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 –2014–15 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता : समान कुलांक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की वरियता का निर्धारण व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक होंगे तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।
- 2-10  $i\dot{e}k.k\ i=\dot{k}\ \dot{d}k\ \dot{d}s\ \dot{l}e; i\ \dot{L}r\dot{h}d\dot{j}.k$  % आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रवेश दी गयी संस्था में, प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा झूठी/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छुपा कर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था, तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा व्यापम द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटाने हेतु म.प्र. शासन, पशु पालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है तो उस निर्णय हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अन्तिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन पशु पालन विभाग को है। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मध्यप्रदेश पशुपालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

$f'\{k.k\ 'k\dot{y}\dot{d}\ \dot{d}h\ \dot{t}k\dot{u}d\dot{k}j\dot{h}$  % पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 –2014 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में एवं पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जाएगा:

1	फ्री सीट	रुपया 33,688/- प्रतिवर्ष
2	पेयमेन्ट सीट	रुपया 1,08,688/- प्रतिवर्ष (म.प्र. के मूल निवासी) रुपया 1,58,688/- प्रतिवर्ष (अन्य राज्य के निवासी)
3	एन आर आई	\$ 4,000 डालर प्रतिवर्ष डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में (नगद डालर स्वीकार नहीं की जाएगी) + इसके अतिरिक्त रूपए 8,688/- भारतीय मुद्रा में देय होगा।

Vhi & चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई शिक्षण एवं अन्य शुल्क में से सुरक्षा निधि को छोड़कर शेष राशि नियमानुसार वापिस नहीं की जावेगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी आदेश एफ 12-42/49/2 पच्चीस दिनांक 29.07.2003 के तहत फीस प्राप्त की जावेगी।

सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को विक्रमादित्य योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रतानुसार शिक्षण शुल्क माफ किया जायेगा।

अवर सचिव,  
पशुपालन विभाग  
मध्यप्रदेश शासन

v/; k; &3

ukukth ns'ked k i'kfpfdRI k foKku fo'ofok|ky;] tcyij ds vllrxr eRL; ikyu foKku egkfo|ky;] tcyij ea Lukrd Lrjh; ikB; Øe ea iD'sk grq fu; e%

- 3- I kekl; tkudkjh & ये नियम मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के द्वारा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) हेतु पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 प्रवेश नियम 2014 कहलायेंगे।
- 3-1 Lukrd fMxh , oa vof/k %  
बी.एफ.एस.सी. (बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस) चार वर्षीय पाठ्यक्रम।
- 3.2 स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यतायें :
- 3.2.1 बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में केवल वे प्रत्याशी ही योग्यता के आधार पर प्रवेश के पात्र होंगे जिनके नाम की अनुशंसा प्रवेश परीक्षा के आधार पर म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा की जावेगी।
- 3.2.2 वे प्रत्याशी, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा संचालित (10+2) पद्धति की 12वीं कक्षा की परीक्षा/बी.एस.सी. प्रथम वर्ष/ इंटरमीडिएट/सेन्ट्रल बोर्ड सेकेण्ड्री एज्युकेशन द्वारा संचालित 12वीं कक्षा की परीक्षा नीचे दिये गये (अ) एवं (ब) में उल्लेखित विषयों सहित उत्तीर्ण की हो।
- (अ) भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान  
तथा
- (ब) अंग्रेजी विषय लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 3.2.3 वे प्रत्याशी जो मध्यप्रदेश में स्थित मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं अथवा किसी भी कारण से महाविद्यालय को छोड़ चुके हैं, को प्रवेश में आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- 3.3 न्यूनतम अंक सीमा : बी.एफ.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनारक्षित वर्ग के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये न्यूनतम अंक सीमा बंधनकारी नहीं है।
- 3.4 मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण (परिशिष्ट-1 पर संलग्न)
- 3.4.1 , u-vkj-vkbl@viDkl h Hkkjrh; ; k viDkl h Hkkjrh; }kj k ik; kftr vH; fFkz ka ds iD'sk grq %  
मत्स्य पालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत सीटें एन.आर. आई. के लिये आरक्षित रहेंगी जिसकी 'kjd jkf'k 4000 \$ : i, 8/688@& डॉलर प्रतिवर्ष होगी। इन सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदक को 30 अगस्त, 2014 अथवा उसके पूर्व नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन करना होगा।
1. 10+2 पद्धति की 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष विज्ञान समूह (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान ) में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अंक सूची आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  2. एन.आर.आई. स्पांसर्सिप प्रमाण पत्र।

अथवा

विदेश में स्थिति भारतीय राजनयिक मिशन अथवा चांसलरी से अथवा कमीशन से इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी के पिता/माता उस देश के अप्रवासी भारतीय हैं।

3. एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत सीटों पर प्रवेश हेतु पर्याप्त विज्ञापन देने के पश्चात् भी प्रवेश नहीं लेते हैं तो रिक्त सीटों को राज्य शासन की स्वीकृति से उक्त सीटों पर केवल प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध छात्रों को ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.4.2 प्रवेश देने पर अभ्यर्थी के वांछित प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिये जावेंगे तथा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जावेगा। मूल दस्तावेज अध्ययन पूर्ण करने अथवा आवंटी द्वारा प्रवेशित सीट छोड़ने की स्थिति में ही लौटाये जावेंगे।
- 3.4.3 प्रवेशित छात्रों/छात्राओं को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय के नियमों के पालन हेतु निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 3.5 यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित प्रवेश पत्र में उल्लेखित दिनोंक को महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस अनुपस्थित रहता है तो उसे सीट के लिये उसके सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेंगे।
- 3.6 वास्तविक निवासी की पात्रतायें : पाठ्यक्रम की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थी को ही प्रवेश की पात्रता होगी :
  1. जो भारत का नागरिक हो।
  2. (क) जिसने वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक पाँच वर्ष की अवधि मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो (प्रमाण पत्र प्रारूप 10 में)  
अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो (प्रमाण पत्र प्रारूप 10 में)

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुये मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संदर्भ में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप 11 में)
2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो दिनोंक 01 जनवरी, 2014 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ रहा हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप 12 में)
3. ऐसे व्यक्ति जो केन्द्र शासन या राज्य शासन की किसी भी योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो। (प्रमाण पत्र प्रारूप 13 में)

Li "Vhdj .k %

1. मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी : अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों (अ) या (ब) की पूर्ति करेगा।

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो।

अथवा

अभ्यर्थी स्वयं या उसके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि माता/पिता दोनों जीवित न हों तो उसका वैद्य अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम 5 वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा है अथवा मध्यप्रदेश में उनकी अचल सम्पत्ति हो।

एवं

- (ब) उसने मध्यप्रदेश स्थिति किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कम से कम तीन वर्ष का अध्ययन किया हो जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी। उसने मध्यप्रदेश स्थिति मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं / दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

fVli . kh %

मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप 10 के अनुसार) के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिये। इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक जारी करने की तिथि, कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

Li "Vhdj . k&2 % (अभिभावक) किसी भी आवेदक के वैद्य अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति हैं जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा अचल सम्पत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हों परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति के अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

Li "Vhdj . k&3 % (दत्तक पुत्र/पुत्री) यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम 5 वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैद्य दत्तक नामा होगा। दत्तक नामा तब तक वैद्य मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसी सम्पुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग-1 अथवा गत 5 वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती। इन नियमों के अन्तर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामले यह आवश्यक होगा किस ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व ही क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रहें हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

3-7 vk; q l hek % प्रवेश हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्याशी की आयु परीक्षा वर्ष की 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की हो।

3-8 vkj {k. k %

- (अ) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के पुत्र/पुत्रियों के लिये क्रमशः 16, 20 एवं 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
- (ब) सभी आरक्षित वर्गों में मध्यप्रदेश के वास्तविक रूप से कृषि व्यवसाय में स्थाई रूप से कार्यरत कृषकों, जिनकी जीविका पूर्णतः कृषि पर आधारित हो, उनके पुत्र-पुत्रियों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
1. कृषक वर्ग के आरक्षण का लाभ कृषकों के उन पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त होगा जिन्होंने 5वीं, 8वीं, 10वीं तथा 12वीं में से किन्ही दो कक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र की शाला में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया हो। स्वाध्यायी छात्रों के लिये यह आवश्यक होगा कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों से उपरोक्त में से कोई दो परीक्षायें उत्तीर्ण की हों।
  2. शाला का ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होना प्रमाणित करने के लिये तहसीलदार अथवा विकासखण्ड अधिकारी का प्रारूप प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- (स) सभी वर्गों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में पंजीकृत वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों के लिये 3 प्रतिशत एवं महिला अभ्यर्थी के लिये 30 प्रतिशत होरिजोन्टल आरक्षण रहेगा। यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

(द) आवेदक को उसकी श्रेणी के अन्तर्गत केवल एक वर्ष में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षित श्रेणी के किसी वर्ग में पर्याप्त प्रत्याशी उपलब्ध न हों तो रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के बिना वर्ग के प्रत्याशियों से की जावेगी। आरक्षित श्रेणी के बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त स्थानों को नियमानुसार श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा।

\* अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

\* अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

\* इन दोनों श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के अभ्यर्थी रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरे जावेंगे।

(इ) जिस श्रेणी/वर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन किया जा रहा है, अभ्यर्थी को उससे संबंधित श्रेणी/वर्ग का प्रमाण पत्र नियम पुस्तिका में दिये गये नियत प्रारूप अथवा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(फ) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्रों में अंकित वर्ग जिसमें उसके द्वारा आरक्षण का लाभ चाहा जा रहा है, परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

### 3-9 i koh. ; l ph ?kks"kr djus dh fof/k %

3.9.1 सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये प्रत्याशियों का चयन योग्यता के आधार पर होगा। म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में पाठ्यक्रमों से संबंधित विषय समूहों में परीक्षाओं के आधार पर व्यापम द्वारा श्रेणीवार मेरिट सूचियाँ बनाई जावेगी।

3-9-2 (अ) आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हों, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जाकर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में प्रवेश दिया जावेगा व उतनी संख्या में अनारक्षित श्रेणी के अंतिम प्रवेशित प्रत्याशियों को मेरिट सूची से हटा दिया जावेगा एवं आरक्षित श्रेणी का कोटा यथावत् उतना रिक्त माना जावेगा परन्तु यह विभिन्न श्रेणियों के होरिजोन्टल आरक्षण के अन्तर्गत वर्गों में लागू नहीं होगा।

(ब) आरक्षित श्रेणी/वर्ग के जिन प्रत्याशियों को अनारक्षित निरंक श्रेणी में प्रवेश प्राप्त हो रहा है, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(स) यदि किसी श्रेणी में निर्धारित मापदण्ड के आधार पर 30 प्रतिशत महिलायें न मिलें तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी श्रेणी के पुरुषों से की जावेगी।

3.9.3 महाविद्यालय में प्रवेश मेरिट एवं विकल्प के आधार पर आवंटन पद्धति से किया जावेगा। केवल रिक्त फ्री सीट एवं एन.आर.आई. सीटों पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा काऊंसिलिंग की जावेगी।

3.9.4 महाविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित समयावधि में ही किये जावेंगे। शैक्षणिक सत्र सितम्बर, 2014 से प्रारंभ होगा तथा प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 30.09.2014 तक पूर्ण कर ली जावेगी। उसके पश्चात् प्रतीक्षा सूची स्वतः समाप्त मानी जावेगी। स्थान रिक्त रहने पर प्रतीक्षा सूची की वैद्यता राज्य शासन की स्वीकृति से आगे बढ़ाई जा सकती है।

3.9.5 पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 –2014 में समान कुलांक पाने वाले परीक्षार्थियों की प्रावीणतः समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की वरिवता का निर्धारण व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों का आधार प्रथमतः प्राणी विज्ञान+वनस्पति विज्ञान के अंकों की गणना को आधार माना जावेगा। यदि इसके उपरान्त भी समान अंक होंगे तब रसायन विज्ञान+भौतिक विज्ञान के अंको को आधार माना जावेगा।

- 3.10 प्रमाण पत्रों का प्रवेश समय प्रस्तुतीकरण : आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रवेश दी गई संस्था में प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप प्रवेश परीक्षा की नियम पुस्तिका में दिये गये हैं। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा आसत्य/गलत जानकारी के आधार पर अथवा कुछ तथ्यों को छिपाकर प्रवेश पाया गया है अथवा प्रवेश पश्चात् कभी भी यह पता चलता है कि आवेदक को किसी त्रुटि अथवा भूलवश प्रवेश दे दिया गया था तो संस्था प्रमुख/विभाग प्रमुख अथवा व्यापम द्वारा आवेदक के प्रवेश को उस पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। प्रवेश नियमों से संबंधित सभी नीति विषयक प्रश्नों के निपटारे हेतु मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग सर्वोच्च निर्णायक होगा। यदि प्रवेश नियमों के स्पष्टीकरण/व्याख्या से संबंधित कोई विवाद खड़ा होता है, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को संदर्भित किया जावेगा जिस पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा। प्रवेश नियमों में संशोधन के अधिकार मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को हैं। प्रवेश नियमों में प्रवेश हेतु सीटों की संख्या, प्रवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं शुल्क आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग को है तथा इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

f'k{k.k 'k\y'd dh tkudkjh % PV&FT - 2014 के माध्यम से नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में एवं मत्स्य पालन महाविद्यालय, जबलपुर में प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों से निम्नानुसार शुल्क प्राप्त की जावेगी।

1	BFSc	शासकीय दर	रूपया 33,688/- प्रतिवर्ष
2	NRI QUOTA	शासकीय दर	\$ 4,000 डालर प्रतिवर्ष डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में (नगद डालर स्वीकार नहीं की जाएगी) + इसके अतिरिक्त रूपए 8,688/- भारतीय मुद्रा में देय होगा।

Vhi & चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय जमा की गई शिक्षण एवं अन्य शुल्क में से सुरक्षा निधि को छोड़कर शेष राशि नियमानुसार वापिस नहीं की जावेगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों से शुल्क आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जारी आदेश क्र. एफ 12-42/49/2/पच्चीस, दिनांक 29.07.2003 के तहत प्राप्त किया जावेगा।

सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों को विक्रमादित्य योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रानुसार शिक्षण शुल्क माफ किया जावेगा।

परिशिष्ट-1

मत्स्यपालन विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण :

विवि या महाविद्यालय का नाम	अनारक्षित (यूआर)			अनुसूचित जाति(एस.सी)				अनुसूचित जनजाति(एस.टी)				अन्य पिछड़ा वर्ग(ओ.बी.सी)				योग				योग महायोग
	X	F	FF	X	F	FF	K	X	F	FF	K	X	F	FF	K	X	F	FF	K	30
मत्स्यपालन विज्ञान महाविद्यालय , जबलपुर	10	04	01	04	01	00	00	04	02	00	00	03	01	00	00	21	08	01	00	30

वर्ग : F-महिला, K-कृषक, FF-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X-इन तीनों में से कोई नहीं, अर्थात् बिना वर्ग।

परीक्षा नियंत्रक  
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान  
विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)

v/; k; & 4

ik: i&1

i ek.k&i =] vffhkys[ kka dh L0Wuh] dkmd fyx] vkoà/u l cdkh i i =  
%mEehnokj }kjk Hkjk tko

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 प्रवेश परीक्षा 2014 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूँ।

L0Wuh में भाग लेने के लिये आज दिनांक .....को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जायें। किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाय—

1. पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0-2014 का रोल नं. : .....
2. मेरिट सूची क्रमांक : .....
3. पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0 परीक्षा मे प्राप्तांक : .....
4. पूरा नाम : .....
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता : .....

VfyOku@ekckby u-

- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति : .....  
/अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6.2 संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्राता संग्राम सैनानी, विकलांग, ओपन ): .....
7. मूल प्रमाण पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही ( ) का चिन्ह लगायें (स्कूटनी समिति सदस्य द्वारा)

1. पी0व्ही0 एण्ड एफ0टी0-2014 की मूल अंक सूची।
2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंक सूची।
3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

Book No.	Disp.No.	Date	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>				

4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची। **DD MM YYYY**

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

5. चरित्र प्रमाण पत्र।
6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप सर्टिफिकेट।
7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र

No.	Dt.of issue.	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी., प्रमाण पत्र
9. वित्तीय वर्ष-13-14 (01/04/13 से 31/03/2014 तक) आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में। (प्रारूप-09-अ एवं 09-ब)
10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित। (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक पूरा नाम

LØWuh ¼I (e tkp½ I fefr }kjk Hkjk tkos

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों 01 I s 10 की पूर्णतः जांच की। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये है। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को उपर उल्लेखित किया गया है।

I nL; LØWuh I fefr  
¼uke]i nuke] gLrk{kj] fnukd½

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों .....से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है।

v/; {k} LØWuh I fefr  
gLrk{kj} fnukd] uke , oa i nuke

ik: i&amp;1&amp;v

'ki Fk i =

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री .....उम्र.....निवासी.....आज  
दिनांक .....को शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये  
निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी।

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन  
करूंगा/करूंगी।

- |    |                   |                        |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  |
|    | दिनांक .....      | दिनांक .....           |
|    | नाम .....         | पूरा नाम .....         |
|    | पूरा पता .....    | पता .....              |
|    |                   | टेलिफोन/मोबाईल न. .... |
| 2. | गवाह के हस्ताक्षर |                        |
|    | दिनांक .....      |                        |
|    | नाम.....          |                        |
|    | पूरा पता.....     |                        |

**ANNEXURE-2**

**DECLARATION FORM**  
**(To be submitted by candidate in the college at the time of admission)**  
**FOR**

**DECLARATION FORM**  
**(To be submitted candidate in the college at the time of admission)**  
**FOR**

Allotment of a Seat in State Veterinary / Fisheries College

I.....

S/o,D/o,.....Resident of

.....Bearing Roll No.

..... have been placed at Rank Number..... in the

Madhya Pradesh Pre Veterinary & Fisheries Test 2014 and I had opted a  
 Seat at College \_\_\_\_\_

Course \_\_\_\_\_ in the allotment, and have taken admission  
 there on dated \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate

Name \_\_\_\_\_

Rank No. \_\_\_\_\_

e/; i n s k e s @ e /; i n s k d s c k g j v l ; j k T ; e s d k ; j r i f r j { k k d e p k j h

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....जो  
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....  
वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....  
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी.....  
के पिता/माता है।

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....  
..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में  
पदस्थ है. वे इस इकाई में दिनांक..... से सेवारत है।

अथवा

ब- उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....  
..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा  
इकाई में पदस्थ है।

स्थान.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

Hkkx ¼½

LFkk; h vuq fpr tkfr@vuq fpr tutkfr iæk.k i =

dk; kly; ] vufoHkkxh; vf/kdkjh ¼ iæk.khdj .k½

अनुभाग .....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक ..... प्रमाण पत्र क्रमांक .....प्रकरण क्रमांक .....

tkfr iæk.k&amp;i =

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति का नाम .....निवासी ग्राम/नगर .....वि.खं. ....तहसील ..... जिला ..... संभाग .....जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक ..... पर अंकित है। अतः श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम/सील

टिप्पणी (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्रा के आधार पर।

ik: i&amp;4

Hkkx ¼½

e-i z dh vU; fi NM s oxL ¼½ hehys j dks NkM d j ½ Js kh ds vkj f{kr LFkkuk ij i d s k ds fy; s  
i L r r fd; s tkus okys i æk.k i = dk ik: i A

LFkkbZ i æk.k i =

dk; kly; ] vufoHkkxh; vf/kdkjh ¼½ i æk.khdj .k½

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) ..... आत्मज  
श्री..... निवासी/ग्राम.....जिला/संभाग .....  
मध्यप्रदेश के निवासी है जो .....जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम  
जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84,  
दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री .....(पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला .....  
.....संभाग .....में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....(पिता का नाम)  
क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक  
एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी  
सूची के कालम-3 में तथा म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1  
आ.प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ती आंकलन भाग (क) संशोधित  
कालम (3) में किया गया है।

दिनांक.....

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम(सील)

ik: i &amp; 5

Lora=rk l æke l ukuh l oxl grq i æk. k i =

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

.....

1— यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार.....  
 श्री(पिता) .....एवं श्रीमती (माता)..... के पुत्र  
 /पुत्री है। श्री/श्रीमती.....स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री.....  
 .....के/की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है।

2— श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सैनानी का नाम)  
 का नाम मध्यप्रदेश के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता  
 संग्राम सैनानी की पंजी (Register) में क्रमांक..... पर पंजीकृत है।

स्थान-----

हस्ताक्षर : कलेक्टर

दिनांक-----

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

LFkkuh; fuokl h i æk.k&i = i klr djus ds fy; s vkonu&i = dk ik: i

प्रति,

नायब तहसीलदार / तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....

विषय:- स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय / महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है । मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है । यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें ।

- 1- मेरा नाम : \_\_\_\_\_
- 2- पिता / पति का नाम : \_\_\_\_\_
- 3- जन्मतिथि : \_\_\_\_\_
- 4- निवास का पूरा पता : मकान नं0.....मोहल्ला.....  
ग्राम / शहर का नाम.....  
तहसील.....जिला.....
- \*5- मेरी पत्नी का विवरण : नाम.....आयु.....वर्ष.....
- \*6- मेरे अवयस्क पुत्र / पुत्रियों का विवरण : (1)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..  
: (2)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..  
: (3)नाम.....पुत्र / पुत्री, आयु.....वर्ष..

संलग्न:- शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई0पी0सी0) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है)

हस्ताक्षर-----

आवेदक का नाम (-----)

\* लागू न होने की स्थिति में काट दें / वर्णित न करें

कार्यालय नायब तहसीलदार / तहसीलदार, टप्पा / तहसील.....जिला.....

पावती

श्री / श्रीमती.....के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक..... को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता  
मय सील

LFkkuh; fuokl h i æk.k&i =

i k: lk&7

'ki Fk&i =

मैं.....आत्मज/पति श्री..... आयु  
(लगभग) ..... वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि –

फोटो  
अभिप्रमाणित

1. मैं वर्तमान में ..... में निवासरत हूँ ।
- \*2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती.....एवं उम्र (लगभग).....वर्ष है ।
- \*3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री – (1)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..  
(2)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..  
(3)श्री/कु0..... आयु.(लगभग).....वर्ष..
4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें)  
\*(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं.....मोहल्ला.....ग्राम.....तहसील.....जिला..... में वर्ष..... में पैदा हुआ/हुई हूँ । मैंने संस्था.....ग्राम/शहर.....तहसील.....जिला..... में वर्ष..... से वर्ष.....तक शिक्षा प्राप्त की है ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये । मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा)  
\*(2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील.....जिला..... में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ ।  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो । यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये)  
\*(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला.....शहर.....तहसील..... जिला.....में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं0..... रकबा.....भू-खण्ड/मकान है । मैं .....उद्योग/व्यवसाय करता हूँ । मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर..... है ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)

\* (4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम..... कार्यालय का नाम.....  
.....विभाग का नाम.....के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ  
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार)

\* (5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित .....नामक  
संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में .....पद पर/से.....  
कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए हैं उसका पूर्ण विवरण दें)

\* (6) मैं केन्द्र शासन के विभाग..... में ..... के पद पर .....  
.....कार्यालय.....तहसील.....जिला..... के पद पर वर्ष .....से  
पदस्थ होकर कार्यरत हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

\* (7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित ( आवंटन वर्ष.....)  
अधिकारी हूँ । .....पद पर.....कार्यालय/मंत्रालय..... में  
पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम )

\* (8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद..... (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ ।

(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाए )

हस्ताक्षर  
शपथग्रहिता

I R; ki u

मैं.....आत्मज/पति श्री.....आयु.....  
वर्ष., निवासी..... सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथपत्र की कंडिका.....लगायत.....  
..... में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है । इसमें न कोई  
तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है ।

सत्यापन आज दिनांक..... को स्थान..... में किया गया ।

हस्ताक्षर  
शपथग्रहिता

\*जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार  
 टप्पा/तहसील ..... जिला .....

प्र.क्र. /बी-121/ वर्ष ..... दिनांक .....

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट  
 साईज का फोटो लगाया  
 जाए जो प्राधिकृत अधिकारी  
 द्वारा सत्यापित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु .....  
 ..... पिता/पति ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला .  
 .....(मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के  
 लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक ..... में निर्धारित मापदण्ड की कञ्जिका क्रमांक ..... की  
 पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है ।

\*2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक .....  
 ..... दिनांक ..... के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी\* /अवयस्क  
 बच्चे\* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -  
 (1) आवेदक की पत्नी का नाम.....आयु.....वर्ष है ।  
 (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री (1).....आयु.....वर्ष  
 (2).....आयु.....वर्ष  
 (3).....आयु.....वर्ष  
 (4).....आयु.....वर्ष

टीप:- यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में  
 साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह0 तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
 तहसील.....  
 जिला.....

\* जो लागू न हो काट दें ।

ik: i 09&v

vk; iæk.k&i = i klr djus ds fy; s vkonu&i =

प्रति,

तहसीलदार / नायब तहसीलदार,

.....  
.....

विषय:— आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

महोदय / महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है । मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है :-

- 1— मेरा नाम :-.....
- 2— पिता / पति का नाम :-.....
- 3— निवास का पूरा पता :-.....  
.....

- 4— संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त  
स्त्रोतों से मेरी / मेरे परिवार की वार्षिक आय:—.....

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)  
हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम ( )

( \*परिवार से आशय पति / पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं । )

-----  
कार्यालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार टप्पा / तहसील.....  
जिला.....

ikorh

श्री / श्रीमती..... के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक.....  
को प्राप्त हुआ ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

ik: i&09&c

dk; kly; rgl hynkj@ uk; c rgl hynkj

टप्पा/तहसील.....जिला.....

प्र.क. /बी-121/वर्ष.....

दिनांक.....

vk; i&ek.k&i=

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु०.....पिता/पति..

.....निवासी.....तहसील.....जिला.....

.....मध्यप्रदेश, की/के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये.....(शब्दों

में.....) है ।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

rgl hynkj@uk; c rgl hynkj

rgl hy-----ftyk-----  
l hy

okLrfod fuokl h iæk.k i =

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
 आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री..... जो तहसील.....  
 जिला .....मध्यप्रदेश का निवास है, क्योंकि वह—

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ/हुई है।  
अथवा
2. वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है।  
अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।  
अथवा
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है।

bl ds vfrfjDr

1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है। जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।  
अथवा
2. उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है।  
 (क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा।  
 (ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा।

.....  
 प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

fVli .kh % जो अंश आवश्यक न हो उन्हें काट दिया जावें।

---

okLrfod fuokl h l calkh vko' ; drk grq iæk.k i =

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यवसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है।

क- जो.....विभाग में.....पद पर..... (तिथि)से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी है।

ख- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो.....(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुए।

ग- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए..... (तिथि) को हो गई थी।

घ- जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी है।

स्थान ----- कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक----- .....

(कार्यालय सील)

ik: i & 12 okLrfod fuokl l cdkh vko'; drk grq i ek.k i =

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है जो दिनांक 1 जनवरी 2000 को अथवा उसके पूर्व की तिथि..... से मध्यप्रदेश में स्थित ..... विभाग में..... पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है।

स्थान .....

कार्यालय प्रमुख, सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

नाम एवं पद.....

(कार्यालय सील)

ik: i & 13 e/; ins'k ea i qd; oLFkki u l cdkh i ek.k i =

संदर्भ क्रमांक .....

दिनांक .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)..... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का/की पुत्र/पुत्री है, जो ..... योजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित है , यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।

स्थान .....

हस्ताक्षर : कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

(देखें नियम 1.18 एवं 1.19)

प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में अभ्यावेदन  
(नोट- यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक  
मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जाएगा )

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न/उत्तर उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....  
आवेदक का नाम.....

स्थान .....

दिनांक .....

(देखें नियम 1.18 एवं 1.19)

vkn' k'z mRrjka ij vki fRr grq vH; konu  
 %uk& ; g i i = dpy ij h{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd e. My dk; kly; ea  
 mi yC/k dj kus ij fopkj {k= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक .....के आदर्श उत्तर में निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक/उत्तर क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

.....

v/; k; &amp; 5

## i kB; Øe (SYLLABUS)

**(A) Physics**

Unit and dimensions, dimensional analysis, S.I. Units, Motion in two dimensions Cases of uniform velocity and uniform acceleration, General relation between position and velocity, Uniform circular motion, Force and inertia. Newton's Laws of motion. Conservation of momentum and energy. Static and kinetic friction. Work energy and power collisions, potential energy, gravitational potential energy and its angular conversion to kinetic energy. Potential energy of a spring, Rigid body rotation and conservation of its momentum. Moment of inertia, theorems of parallel and perpendicular axis. (Moment of inertia of uniform ring, disc, thin rod and cylinder only).

Acceleration due to gravity and its variation, Universal law of gravitation, geostationary satellites, escape velocity.

Hooke's law, Young's modulus, shear and bulk modulus, surface energy and surface tension, kinetic theory of gases, gas laws, kinetic energy and temperature.

Specific heats at constant volume and constant pressure. mechanical equivalent of heat, isothermal and adiabatic processes.

Heat conduction in one dimension, convection and radiation, Stefan's Law and Newton's law of cooling Periodic motion, Simple harmonic motion, Oscillations due to spring, Wave motion principle of superposition; Progressive and stationary waves, Beats and Doppler effect.

Wave nature of light, Interference, Young's double slit experiment, Velocity of light and Doppler's effect in light.

Reflection, refraction, total internal reflection, curved mirrors, Lenses, mirror and lens formulae.

Dispersion in prism, absorption and emission spectra.

The human eye, defects of vision, magnification and resolving power of telescope and microscope "e" and "e/m" for an electron, Einstein's photoelectric equation, photocells.

Bohr model of the atom, Hydrogen spectrum, Composition of nucleus, atomic masses and isotopes, radioactivity, laws of radio active decay, decay constant, half life and mean life, Mass-energy relation, fission. X-Ray: Properties and uses.

Elementary ideas of conductor, semi-conductor and insulator, intrinsic and extrinsic semi conductors, np Junction as a rectifier.

Bar magnet, lines of force, torque on a bar magnet due to magnetic field, earth's magnetic field, tangent galvanometer, vibration magnetometer.

Coulomb's law of electrostatic, dielectric constant, electric field and potential due to a point charge, dipole, dipole field, Gauss's law in a simple geometrics.

Electrostatic potential, capacitance, parallel plate and spherical capacitors capacitors in series and parallel, energy of a capacitor.

Electric current, Ohm's law, Kirchhoff's laws, resistances in series and parallel temperature dependence of resistance. Wheatstone bridge, potentiometer.

Measurement of voltages and currents.

Electric power, heating effects of currents, chemical effects and law of electrolysis, thermoelectricity. Biot Savart law. Magnetic fields due to a straight wire circular loop and solenoid.

Force on a moving charge in a magnetic field (Lorentz force), Magnetic moment of a current loop, effect of a uniform magnetic field of a current loop, forces between two currents, moving coil, galvanometer, ammeter and voltmeter.

Electromagnetic induction induced emf, Faraday's law, Lenz's law, self and mutual inductance alternating currents, impedance and reactance growth and decay of current in L-R circuit, elementary idea of dynamo and transformer.

## **(B) Chemistry**

### **General and Physical Chemistry**

Structure of Atom : Constitution of nucleus : Bohr's atom model : quantum numbers Aufbau principle, electronic configuration of elements (upto-Kr) : de-Broglie relation, shapes of orbitals.

Chemical Bond : Electrovalent, covalent and coordinate bonds, hybridization (sp) : hydrogen bond: shapes of molecules (VSEPR theory) : bond polarity, resonance, Elements of VBT MOT.

Solutions: Modes of expressing concentrations of solutions: Types of solutions, Raoult's law of colligative properties, non-ideal solution, abnormal molecular weights.

Solid State: Crystal lattices, unit cells, Structure of ionic compounds: close packed structure Ionic radii, imperfections (Point defects): Properties of solids.

Nuclear Chemistry: Radio active radiations: half-life, radioactive decay, group displacement structure and properties of nucleus: Nuclear reaction, disintegration series, artificial transmutation: isotopes and their uses, Radio carbon dating.

Chemical Equilibrium: Chemical equilibrium, Law of mass action:  $K_p$  and  $K_c$ : Le Chatelier principle and its application.

Ionic Equilibria in solutions, Solubility product, common ion effect, theories of acids and base hydrolysis of salts: pH : buffers.

Thermochemistry and Thermodynamics: Energy changes during a chemical reaction: intrinsic energy enthalpy, first law of thermodynamics: Hess's law, Heats of reactions: Second law of thermodynamics: entropy: free energy; spontaneity of a chemical reaction; free energy change and chemical equilibrium; free energy as energy available for useful work.

Chemical kinetics, Rate of a reaction, factors affecting the rate, rate constant, rate expression, order of reaction, first order rate constant expression and characteristics, Arrhenous equation.

Electrochemistry: Oxidation, Oxidation number and ion-electron methods. Electrolytic conduction. Faraday's laws; voltaic cell, electrode potentials, electromotive force, Gibb's energy and cell potentials. Nernst equation, commercial cells, fuel cell, electrochemical theory of corrosion.

Surface chemistry, Colloids and Catalysis; Adsorption, Colloids (types preparation and properties), Emulsions, Micelles, Catalysis: Types and characteristics.

### **Inorganic Chemistry :**

Principles of metallurgical-operations : Furnaces, ore concentration, extraction, purification metallurgies of Na, Al, Fe, Cu, Ag, Zn and Pb and their properties.

Chemical periodicity : s, p, d and f-block elements, periodic Table: periodicity : atomic and ionic radii valency, ionization energy, electron affinity electronegativity, metallic character.

Comparative study of elements: Comparative study of the following families of elements: (i) alkali metals (ii) Alkaline earth metals (iii) Nitrogen family (iv) Oxygen family (v) Halogens (vi) Noble gases.

Transition metals: Electronic configuration of 3d-metal ions, oxidation states, other general characteristic properties, Potassium permanganate, Potassium dichromate.

Co-ordination compounds : Simple nomenclature, bonding and stability, classification and bonding in organometallics.

Chemical analysis: Chemistry involved is simple inorganic qualitative analysis: calculations based on acid-base titrimetry.

**Organic Chemistry :**

Calculation of empirical and molecular formula of organic compounds, Nomenclature of organic compounds, common functional groups isomerism structure and shapes of alkanes, alkanes and benzene.

Preparation properties and uses of alkynes, alkyl, benzene, petroleum, cracking octane number, gasoline additives.

Nomenclature, Physical chemical properties, correlation of physical properties with structure properties and uses of haloalkanes, halobenzenes, alcohols and phenols: General ideas of some polyhalogen compounds viz., dichloroethanes, dichloroethers, chloroform, carbon tetrachloride D.D.T., benzene hexachloride.

Nomenclature, methods of preparation, Chemical properties correlations of physical properties with structures and uses of ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives, Brief account of the chemistry of Cyanides, isocyanides, amines and nitro compounds.

Polymers : Classification : Preparation and uses of common natural and synthetic polymers.

Biomolecules : Classification, Structures and biological importance of carbohydrates amino acids, peptides, proteins and enzymes, nucleic acids and lipids.

**(C) Botany**

Structural organization of cell, cell theory. Light and Electron Microscopic view of cell. Structure and functions of cell organelles : Nucleus Mitochondria, Chloroplast Endoplasmic reticulum, Golgi complex lysosome, microbodies microfilaments Ribosomes, Centrioles and Plasmids, Eukaryotic Chromosome (Morphology) cell and plasma membrane, Difference between plant and animal cell. Division, cell cycle significance of mitosis and meiosis.

Mendel's Laws of inheritance, Monohybrid and dihybrid cross; linkage and crossing over of genetic material DNA replication, genetic code transcription, translation and gene regulation.

Difference between Prokaryote and Eukaryotes : Structure reproduction and economic importance of viruses Mycoplasma, Bacteriophage, Cyanobacteria (Nostoc) and Bacteria.

Five Kingdom classification, Binomial Nomenclature, External morphology and life cycle of Spirogyra mucedo, Funaria Selaginella and Pinus.

Elementary knowledge of microsporogenesis megasporogenesis. Fertilization endosperm and embryo development in Angiosperms.

Tissues and tissue systems, meristematic and permanent tissue, Mineral nutrition essential elements and their functions: uptake of minerals transport of water and solutes. Transpiration Photosynthesis and Respiration: Importance, mechanism and factors affecting these processes: Photorespiration.

Enzymes and growth hormones with reference to their classification. Chemical nature, mode of action, importance. Elementary idea of photoperiodism and phytochrome.

Ecosystem - Structures and function, Major ecosystems i.e. lake and Forest; Food chain, Food web and energy flow, Ecological crisis- Role of man in polluting Environment - Air, Water and Soil.

Role of plants in human welfare: A general knowledge of plant products of economic value- Drugs, Fibers, Cereals.

Wheat and Rice, Pulse (gram), Oil seeds (Ground nut), Sugarcane, Coal and petroleum.

Food preservation-methods and importance.

Principle of plant breeding and its role in improvement of crops. Biotechnology; scope and importance in Agriculture and industrial manufacture of cheese. Yoghurt, Alcohol Antibiotics.

### **(D) Zoology**

#### **Multicellularity - Structure and Function of Animal Life :**

Structure and function of Animal tissues Epithelial, Connective Muscular, Skeletal and Nerve.

Histology of mammalian organs - Stomach, Intestine, Liver, Kidney, Lung, Testes and Ovary.

Structure and Physiology of different organ systems of Human body. Skin, Digestive system, Respiratory system, Circulatory system.

Skeleton, Joints, Muscles on the basis of movement receptors.

Endocrine system with special reference to various Endocrine glands of man and hormonal coordination.

Vitamins & minerals (source and disorders due to deficiencies).

#### **Developmental Biology and Genetics:**

Female reproductive cycles in mammals. Gametogenesis alongwith structure of sperm and ovum. Types of eggs, Fertilization, cleavage types of cleavage and blastula. Development of mammals upto three germinal layers. Foetal membranestructure and functions. Growth, repair and ageing, amniocentesis. - Chromosomes, Types of chromosome, Human karyotype and chromosomal abnormalities and syndromes, Hormonal, Chromosomal and Genic Balance theory of sex determination, Sex linkage and sex linked inheritance in Man.

Blood Group and their significance, Blood Bank.

Tissue culture, Genetic Engineering (Brief idea). Mutation, gene mutation.

Human population, natality, Mortality, Sex ratio, Population explosion, dynamics of human life with respect to food supply, housing, health and standard of living, impact of population problems and their control.

#### **Taxonomy Evolution and Economic Zoology:**

Classification - Binomial and trinomial nomenclature, Basic features of classification, Classification of different animal phyla upto classes with characters and suitable examples.

Origin of life, Theories of organic evolution-Darwin Lamarck, Synthetic Evidence of organic evolution, Human Evolution.

Economic Zoology/Sericulture, Apiculture, Lac culture, Poultry, Fishery and Pearl industry. Protozoan disease in relation to man. Insect carrying diseases in relation to man.

Cancer-types of cancer and cancer cell. Communicable diseases (Hepatitis, AIDS) STD, Immune Response, Vaccines and antisera allergies. Smoking, alcoholism and drug addiction, symptoms and control. Wild conservation.

Pesticides - Uses, advantages and hazards.

---

